

FORM NO.III

3

फर्द अहकाम
(नियम 26)

चित्तौड़गढ़ (राज.)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी मुकाम
अंकित बनाम खेसा

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर... 166/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
04/05/24	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>अंकित</u></p> <p>पिता श्री <u>अशोक मोहेश्वरी</u></p> <p>निवासी <u>सिचौड़ना विप्रपुर कोलोन चित्तौड़गढ़</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम <u>सोनगरो की खेडी (प.ह. ब.सू.डी)</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर... <u>167</u> <u>172/357</u> <u>0.11</u> <u>0.37</u> <u>205</u> <u>0.44</u></p> <p>कुल कीता <u>03</u> कुल रकबा <u>0.9200</u> है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>सोनगरो की खेडी (प.ह. ब.सू.डी) त.ह. ब.सू.डी</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>167</u> <u>172/357</u> <u>205</u> <u>0.11</u> <u>0.37</u> <u>0.44</u></p> <p>कुल कीता <u>03</u> रकबा <u>0.9200</u> है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>1000/-</u> रुपये अक्षरे <u>एक हजार रुपये</u> प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p>(बीनू देवल) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)</p>